



दूरभाष 0522-2288656

फैक्स 0522-2288655

E-Mail-cehydelpcl@gmail.com

कार्यालय मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या:- 474-अ-7/मु०अ०(ज०वि०)/अधि० आ० आवंटन/2017
कार्यालय-ज्ञापन

दि०:-02/5/2017

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं उ०प्र० जल-विद्युत निगम लिमिटेड के अधोनामित अधिकारीगण के नाम विभागीय अधिकारी कालोनी में रिक्त उपलब्ध आवास का स्तम्भ-4 एवं 5 में उल्लिखित विवरण के अनुसार एतद्वारा आवंटन/निरस्तीकरण किया जाता है:-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम एवं पदनाम तथा तैनाती स्थल	आवासीय स्थिति	आवंटित आवास	टिप्पणी
1	2	3	4	5
सर्वश्री				
1	अजीत सिंह, निदेशक (तकनीकी), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।	बाहर	चन्द्रलोक 5/82	रिक्त होने की तिथि से आवंटित।
2	रत्नदीप मौर्य, सहा०अभि० (वाणिज्य), उ०प्र० जल-विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ	आरएसएम बी-355	चन्द्रलोक 4/45	कार्या० ज्ञाप सं०-289-अ-7 दि० 08.03.17 द्वारा श्रीमती रमा श्रीवास्तव, सहा०अभि०, वाणिज्य, इकाई उत्पादन निगम शक्ति भवन विस्तार लखनऊ को चन्द्रलोक 4/45 आवंटित किया गया था, जो कि उनके द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दि० 31.03.2017 द्वारा कब्जा लेने से मना करने के आधार पर निरस्त करते हुये उन्हें एक वर्ष हेतु वारित किया जाता है एवं श्री रत्नदीप मौर्य, सहायक अभियन्ता, वाणिज्य, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार के वर्तमान आवास आर०एस०एम० बी-355 के जर्जर स्थिति में होने तथा सुरक्षा कारणों से मुख्य अभि०(जानपद) द्वारा उक्त भवन की तत्काल अनुरक्षण की आवश्यकता बताने के दृष्टिगत श्री रत्नदीप मौर्य, सहा०अभि० (वाणिज्य) उ०प्र० जल-विद्युत निगम को विशेष परिस्थितियों में चन्द्रलोक 4/45 आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास में सिविल कार्यों की कमी होने की स्थिति में आवंटीगण जानपद निर्माण खण्ड-प्रथम, लखनऊ के अधिशासी अभियन्ता से पत्राचार करें एवं नियमानुसार निर्धारित समय सीमा में आवास का अधिग्रहण करना सुनिश्चित करें एवं मुख्य अभियन्ता(जानपद) पारेषण-द्वितीय को निर्देशित किया जाता है कि आवास संख्या-आरएसएम-बी-355 का प्राथमिकता पर अनुरक्षण पूर्ण कराकर आवंटियों के लिए उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त अधिकारियों को आवास अधिग्रहण तिथि से मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा तथा विद्युत मद में नियमानुसार कटौती भी प्रारम्भ कर दी जाय।

अध्यक्ष आवास आवंटन समिति एवं
मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)

